बिहार विधान परिषद के 172वॉ सत्र के लिए अल्पसूचित प्रश्न

श्री वासुदेव सिंह, मा0 स0वि0प0 द्वारा 172 वॉ सत्र में पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं0–आर0आर0–1 के संबंध में क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :–	**श्रीमती रेणु कुमारी कुशवाहा,** मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना
प्रश्न	**उत्तर**
(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर भटगॉव तथा गोबरगामा गॉव में बरसात के बाद कोसी नदी के तेज कटाव के कारण सैकड़ों परिवार गृहविहीन हो चुके हैं साथ ही साथ खेती योग्य भूमि भी कट कर नदी में विलीन हो रही है ,	यह सही है कि वर्ष 2012 में कोशी एवं कमला नदी में जलस्तर के वृद्धि होने के कारण ग्राम पंचायत गढ़गॉव जो पूर्णतया कोशी नदी में अवस्थित है, में तेजी से हो रहे जल प्रवाह के कारण निम्न गॉव के कुल 130 परिवारों ने अपने झोपड़ीनुमा घर को सुरक्षा के दृष्टि से सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर लिया था। इसमें किसी भी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था । क्र0 — प्रभावित गॉव का नाम — प्रभावित परिवार 1. भवानीपुर 82 2. गोबरगढ़ा 40 3. गढ़गॉव 8 उपरोक्त गॉव नदी के पेट में बसा हुआ है । इसलिए इसमें पारम्परिक रूप से कृषि कार्य नहीं किया जाता है । नदी के किनारे वाली भूमि कृषि योग्य भूमि की श्रेणी में भी नहीं आती है ।
(ख) क्या यह सही है कि मधेपुर अंचलाधिकारी ने जिला प्रशासन को उक्त भयावह त्रासदी से अवगत करा दिया है परंतु प्रभावित परिवारों को समुचित राहत नहीं मिल रहा है,	यह बात सही है कि अंचल अधिकारी, मधेपुर के द्वारा इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई थी । लेकिन उसमें किसी भी तरह का जानमाल की क्षति की सूचना नहीं रहने के कारण सी0आर0एफ0 नॉर्म्स के अन्तर्गत राहत देने का कोई प्रावधान नहीं है । कोशी क्षेत्र में नदी के तलहटी में बसे इन गॉवों में बाढ़ के पानी का जलप्रवाह प्रत्येक वर्ष एक सामान्य प्रक्रिया है, तथा पानी की स्थिति के अनुसार लोग अपनी झोपड़ी सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करते रहते हैं ।
(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार बताएगी कि उनके परिवारों को आंशिक मदद के साथ–साथ पुनर्वास की व्यवस्था और कटाव निरोधी कार्य कबतक करेगी ?	सी0आर0एफ0 एवं एन0सी0सी0एफ0 के अन्तर्गत इस मामले में कोई राहत देय नहीं है तथा अस्थायी रूप से झोपड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए पुनर्वास की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

कृ0पृ0उ0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक –04 / वि0प0अ0सू0प्र0–42 / 2012 / 4981 / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 17.12.12

प्रतिलिपि अवर सचिव, बिहार विधान परिषद सचिवालय, पटना को उनके पत्रांक –5030(5) दिनांक –16.11.2012 के क्रम में 03(तीन) प्रतियों में / उप सचिव, संसंदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0 / –

(सच्चिदानंद चौधरी)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक –04 / वि0प0अ0सू0प्र0–42 / 2012 / 4981 / आ0प्र0, पटना–15, दि0– 17.12.12

प्रतिलिपि सुश्री कविता कुमारी, आई0टी0 मैनेजर, आ0प्र0 विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

17.12.12
सरकार के अवर सचिव

D:\Hall Wipro Photostat\Vi Sabha\Vidhai QA 13-8-12.docx